[2019] 10 एस. सी. आर 1

आर. जयपाल

वी.

तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर.

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 56)

अगस्त 09,2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 302 / 34 , एस का भाग-I। 304 - एस से दृढ़ विश्वास का परिवर्तन। 302 आई. पी. सी. से एस. के भाग-I तक। 304 - अभियोजन का मामला

यह कि अपीलार्थी की पत्नी (अभियुक्त संख्या 3) और पीड़ित-मृतक के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी-यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी (अभियुक्त संख्या 1) और उसकी पत्नी (अभियुक्त संख्या 3) की पीड़ित के साथ बहस हुई थी-उसी दिन, शाम को, यह आरोप लगाया गया था

कि जब पीड़ित अपीलार्थी के घर के सामने की गली को पार कर रहा था, तो अपीलार्थी एक स्पाइक के साथ नीचे आया, आरोपी नं। 2 दरांती और निहत्थे अभियुक्त सं। 3 और पीड़ित पर हमला किया-अपीलार्थी ने पीड़ित की छाती पर स्पाइक से वार किया-पीड़ित की मृत्यु हो गई-एफ़. आई. आर. दर्ज की गई-ट्रायल कोर्ट के सामने, अपीलार्थी ने बचाव पक्ष लिया कि मृतक 5-6 व्यक्तियों के साथ उसके घर में घुस गया था और उसकी पत्नी पर हमला किया और छेड़छाड़ की-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, उसने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया था और मृतक को चाकू मार दिया था-ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष को खारिज कर दिया और अपीलार्थी (आरोपी नंबर 1) को आरोपित किया और आरोपी नं. 2 यू/एस अपराधों के लिए दोषी। 302 आई. पी. सी. और यू / s.302/34 आई. पी. सी. क्रमशः और अपीलार्थी की पत्नी को बरी कर दिया (अभियुक्त संख्या 3)-उच्च न्यायालय

अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखा लेकिन पाया गया

अभियुक्त नं. 2 दोषी नहीं था और उसे बरी कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः अभियोजन पक्ष घटना के स्थान और तरीके के बारे में सभी स्पष्ट संदेहों को दूर करने में सक्षम नहीं था, विशेष रूप से कि हमलावर कौन था और यह कैसे शुरू हुआ-अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट करने में सक्षम नहीं था कि मृतक अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर कैसे था और अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर खून के धब्बे भी कैसे पाए गए-इसके अलावा, बचाव पक्ष का संस्करण यह भी है कि मृतक ने अपीलार्थी की पत्नी पर हमला किया और छेड़छाड़ की।

ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव के लिए अस्वीकार्य

हालांकि, प्रमुखता यह है कि घटना, पूरी संभावना में, अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर हुई थी इसलिए, अपीलार्थी का वैकल्पिक मामला कि घटना हुई थी किसी भी पूर्व-ध्यान के बिना, अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में, जब मृतक ने अपने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया; और अपीलार्थी ने न तो कोई अनुचित लाभ उठाया और न ही क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया-का लाभ स्वीकार किया जाता है

एस का अपवाद 4। 300 आई. पी. सी. का विस्तार अपीलार्थी तक किया गया-इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धाराओं के भाग-I के तहत एक में बदल दिया गया। 304

आईपीसी.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. दोनों आरोपी नं. 2 और अभियुक्त नं। 3 बरी कर दिए गए। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, जब अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 3 को घटनास्थल से हटा दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी के पूरे रंग को भौतिक पहलुओं पर बदल दिया जाता है और इस तरह के परिवर्तन को पूरी तरह से महत्वहीन या अप्रासंगिक होने के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि अभियोजन पक्ष के मामले को अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 3 के संबंध में झूठा (या कम से कम संदिग्ध) माना जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास करने के उद्देश्य से झूठ (या संदेह) के इस हिस्से को अलग करना मुश्किल है। इस मामले में भूसी से अनाज निकालने का अभ्यास हिल जाएगा, बल्कि नष्ट हो जाएगा,

अभियोजन पक्ष के मामले की मूल बातें; और एक पूरी तरह से नई अभियोजन कहानी को यह मान लेना होगा कि जब मृतक गली से नीचे चल रहा था, तो अकेले अपीलार्थी ने उस पर छलांग लगा दी; उसे एक झटका दिया; हथियार को अपने घर की ओर फेंक दिया और भाग गया। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों पर और

इस मामले की परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित कहानी के प्रतिस्थापन में घटना के ऐसे या समान दृश्य को मान लेना असुरक्षित होगा। जैसा कि निर्दिष्ट निर्णयों से देखा गया है, जब इस न्यायालय ने पाया कि सत्य को असत्य से अलग करना संभव नहीं था क्योंकि दोनों अविभाज्य रूप से मिश्रित थे, अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तथापि, इस मामले में ऐसा मार्ग नहीं अपनाया जा सकता है और यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी घटना में शामिल नहीं था या उसने मृतक की हत्या नहीं की थी, अनिवार्य रूप से इस कारण से कि अपीलार्थी ने स्वयं बचाव पक्ष लिया कि उसने आर. जयपाल बनाम के अभ्यास में मृतक पर हमला किया था।

निजी बचाव का उनका अधिकार जब मृतक कथित रूप से उनके घर के अंदर घुस गया और अपनी पत्नी पर हमला करने और छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी देखा गया है कि एक चोट थी

मृतक के व्यक्ति पर 5 सेंटीमीटर लंबाई और बाएं कॉलर के सामने और बाहर ढाई सेंटीमीटर चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर चाकू की चोट होने के कारण

हड्डी जो तीसरी पसली के माध्यम से फेफड़े के ऊपरी हिस्से को छेद चुकी थी। चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू-11 ने राय दी है कि फेफड़े में चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी और इसके कारण हो सकती थी

प्रश्न में स्पाइक। [पैरा 14 और 14.1] [18-जी-एच; 19-ए-एफ]

अपीलार्थी का स्वीकार किया गया मामला कि उसने मृतक के व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी, मामले की जांच की जानी आवश्यक है। आगे इस सवाल पर कि क्या अपीलार्थी अपनी पत्नी को कथित हमले और छेड़छाड़ से बचाने के लिए निजी बचाव के अधिकार का उचित उपयोग करने के लिए बरी होने का हकदार है। [पैरा 15] [19-जी-एच]

3. इसलिए, जब इस न्यायालय को पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले को अनुमानित नहीं माना जा सकता है, तो बचाव पक्ष के संस्करण के बारे में

और उसी दिन शाम करीब 5 बजे मृतक के घर के बाहर उनकी बहस हुई थी। इसलिए संभावना है कि मृतक के दरवाजे तक पहुँचने पर होने वाले झगड़े-अपीलार्थी के कदम से इंकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 17] [20-एफ-एच; 21-ए-बी] [2019] 10 एस. सी. आर.

4. पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि अभियोजन पक्ष की अनुमानित कहानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस कारण से कि आरोपी संख्या 2 और आरोपी संख्या 3 को बरी कर दिया गया है और उनके बरी होने का फैसला अंतिम हो गया है। फिर, अभियोजन पक्ष घटना के स्थान और तरीके के बारे में सभी स्पष्ट संदेहों को दूर करने में सक्षम नहीं हुआ है, विशेष रूप से कि हमलावर कौन था और यह कैसे शुरू हुआ। दूसरी ओर,

बचाव पक्ष का कहना है कि मृतक 5 से 6 व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के घर में घुस गया और उसकी पत्नी पर हमला किया और छेड़छाड़ की।

ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव के लिए भी अस्वीकार्य। हालांकि, प्रमुखता यह है कि घटना, पूरी संभावना में, अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर ही हुई थी। दी गई परिस्थितियों में, संभावना है कि मृतक, जिसके अपीलार्थी की पत्नी के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, ने आक्रामकता के माध्यम से उकसाने या अपीलार्थी के घर में घुसपैठ का प्रयास करने के कारणों से इंकार नहीं किया है। [पैरा 18] [21-ई-जी]

5. पूर्वगामी और इस मामले की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय वैकल्पिक मामले को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है -

अपीलार्थी कि विचाराधीन घटना बिना किसी पूर्वकल्पना के हुई थी, अचानक झगड़े के बाद जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में, जब मृतक ने उसके घर में प्रवेश करने का प्रयास किया; और अपीलार्थी ने न तो कोई अनुचित लाभ उठाया और न ही क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किया। इस कारण से, यह न्यायालय अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ देने के लिए इच्छुक है। तथापि, मृत्यु का कारण बनने वाला अपीलार्थी का कार्य ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया गया है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 304 के भाग-1 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने का हकदार है। [पैरा 20] [21-एफ-जी]

यानोब शेख उर्फ गागू बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2013)

8 एस. सी. आर. 1026; कृष्ण मोची बनाम। बिहार राज्य (2002) 6 एससीसी 81: [2002] 3 एस. सी. आर. 1; जुम्मन और अन्य। वी. द. पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 469-पर निर्भर था।

आर. जयपाल बनाम तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर.

मुंशी राम और अन्य। वी. दिल्ली प्रशासन (1968) 2

एस. सी. आर. 455; जेम्स मार्टिन बनाम। केरल राज्य (2004) 2 एस. सी. सी. 203 [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 910; दर्शन सिंह

वी. पंजाब और अन्र राज्य। (2010) 2 एससीसी 333: [2010]

1 एस. सी. आर. 642; सुकुमारन बनाम। राज्य 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी

339 ; बुधि सिंह बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2012)

13 एससीसी 663: [2012] 11 एससीआर 848; सुरैन सिंह बनाम।

पंजाब राज्य (2017) 5 एस. सी. सी. 796; पुलिचेरला नागराजू उर्फ नागराजा रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य (2006)

11 एससीसी 444: [2006] 4 पूरक। एस. सी. आर. 633; गुडार दुसाद

वी. बिहार राज्य (1972) 3 एस. सी. सी 118-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1968) 2 एससीआर 455

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2003] 6 पूरक। एससीआर 910

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2010] 1 एससीआर 642

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2012] 11 एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

(2017) 5 एस. सी. सी. 796

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2006] 4 पूरक। एससीआर 633

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

(1972) 3 एससीसी 118

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[2012] 13 एससीआर 1150

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2008] 8 एससीआर 1026

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2002] 3 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

आकाशवाणी 1957 एससी 469

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक ए

2010 का सं. 56।

उच्च न्यायालय के 21.02.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2000 की आपराधिक अपील सं. में मद्रास, मदुरै पीठ में न्यायिक कार्य।

सुश्री अपर्णा भट, सुश्री शिवानी सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए एम. योगेश कन्ना, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

9] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

1. इस अपील में, अभियुक्त-अपीलार्थी ने आपराधिक अपील संख्या 1003 में दिनांकित 21.02.2008 के निर्णय और आदेश पर सवाल उठाया है।

2000 जिसके तहत, मद्रास के उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

(' आई. पी. सी. '), भले ही अभियुक्त संख्या 2 को अपराध के लिए बरी कर दिया गया हो। 1999 के सत्र मामला संख्या 168 में प्रधान सत्र न्यायाधीश, तंजावुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.06.2000 के संशोधन में आई. पी. सी. की धारा 302/34।

1.1 . उपरोक्त सत्र मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी था

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आरोपित किया गया, जबकि अपीलार्थी के भाई (आरोपी संख्या 2) पर आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया और अपीलार्थी की पत्नी (आरोपी संख्या 3) पर आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 341 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1,000 / - डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ; और अपीलार्थी के भाई (अभियुक्त संख्या 2) को भी आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1,000 / - डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ। हालाँकि, निचली अदालत ने अपीलार्थी की पत्नी (आरोपी संख्या 3) को आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 341 के तहत अपराधों का दोषी नहीं पाया और तदनुसार, उसे बरी कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा लेकिन आरोपी संख्या 2 को दोषी नहीं पाया और तदनुसार उसे बरी कर दिया गया।

2. इस अपील में निर्धारण की मांग करने वाला मूल प्रश्न यह है कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, उच्च न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने में उचित ठहराया गया था? 3. प्रश्न के लिए अब तक प्रासंगिक मामले के पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता हैः

3.1 . अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक

पून्धैसेझियान और अपीलार्थी की पत्नी, श्रीमती. जयसेली (जिस पर इस मामले में नंबर 3 का आरोप लगाया गया था) के बीच नगर पंचायत के चुनाव के कारण लंबे समय तक प्रतिद्वंद्विता रही, जिसमें मृतक ने एक अन्य

उम्मीदवार को अध्यक्ष के रूप में चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद, आरोपी नंबर 3 को हराकर स्वयं उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए।

आर. जयपाल बनाम के अनुसार। तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अभियोजन पक्ष को, आरोपी संख्या 3 ने मृतक के खिलाफ शिकायत की जिसकी जांच की गई और उसे झूठा पाया गया। और शिकायत की इस विफलता ने अभियुक्त व्यक्तियों को क्रोधित कर दिया था। यह आरोप लगाया गया था कि आई. डी. 1 को शाम लगभग 5 बजे, अपीलार्थी आर. जयपाल (अभियुक्त संख्या 1) और उसकी पत्नी (अभियुक्त संख्या 3) की मृतक के साथ उसके घर के सामने बहस हुई थी, जब अपीलार्थी ने 24 घंटे के भीतर मृतक को खत्म करने की कसम खाई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि उसी दिन शाम करीब 7.15 बजे, जब मृतक तंजावुर जाने के लिए अपने घर से निकला और अपीलार्थी के घर के सामने की गली को पार कर रहा था, तो अपीलार्थी एक स्पाइक के साथ नीचे आया, आरोपी नंबर 2 एक दरांती के साथ आया, और आरोपी नंबर 3 निहत्थे आया। अभियुक्त नं. 2 (अपीलार्थी के भाई) ने मृतक पर दरांती से हमला किया लेकिन उसका प्रहार था

मृतक द्वारा अवरुद्ध; मृतक ने भागने का प्रयास किया

लेकिन था।

आरोपी नंबर 3 द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और उसने बख्शे नहीं जाने का आह्वान किया

मृतक; और फिर, अपीलार्थी ने मृतक की छाती पर स्पाइक से वार किया। इस घटना को कथित तौर पर मृतक के भाई पीडब्लू-1 पांडियन ने देखा था, जो मृतक को अस्पताल ले गया था और जिसके साथ था।

बयान के अनुसार, पीडब्लू-12 हेड कांस्टेबल जगनाथन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. के प्रासंगिक भाग उपयोगी हो सकते हैं।

निम्नलिखित रूप में निकाला गयाः

आज 23.08.97 को शाम 5 बजे मेरे भाई अपने कमरे में थे।

घर। जब मैं बाजार से लौटा तो वहाँ चिल्लाहट हो रही थी।

जब मैं पास गया तो मैंने अपने भाई पूंडाईचेलियन, जयसेली को देखा।

और जयपाल बहस कर रहे थे। फिर मेरे भाई पूंडाईचेलियन

और उसे उसके घर भेज दें। जयसेली और जयपाल आगे बढ़े। पूरब की ओर। फिर मेरे भाई ने रेडियो पर 7 प्रतिशत समाचार सुने और

तंजावुर से शुरू हुआ। उस समय मेरे घर के पास की चौकी में, रोशनी चमक रही थी। वहाँ अच्छी रोशनी थी। मैं बैठा हुआ था।

मेरे घर के ऊँचे मंच पर। जब मेरे भाई थे

सड़क के सामने सड़क में पूर्व की ओर जाना

दरांती के साथ और जयसेली बिना किसी हथियार के आई। सेवियर भाग गया। मेरे भाई को और मेरे भाई को दरांती से काट दो। मेरे भाई।

उसे रोक दिया और नीचे धकेल दिया। इसलिए, कट नहीं उतरा

मेरे भाई पर। मेरे भाई ने पश्चिम की ओर भागने की कोशिश की।

मेरे भाई का रास्ता रोक दिया और उसे न बख्शने के लिए चिल्लाया। जयपाल ने मेरे भाई की बाईं छाती पर अपने हाथ में छुरा घोंपा। मेरा भाई गिर गया। मैं चिल्लाते हुए भागा। अरुमैनाथन जो मेरे घर के सामने है और जो लोग रास्ते में आए थे, चिन्नायन पुत्र रेंगमणि, रविचंद्रन, पुत्र गुरुसामी ने भी चिल्लाया। जयपाल, जयसेली और सेवियर भी दौड़ पड़े। मैंने पीछा किया।

उन्हें पकड़ने के लिए। वे हर दिशा में भागते थे। मैंने पूर्व की ओर जयपाल का पीछा किया और उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। इस डर से कि वह मुझे स्पाइक से घूंसा मार सकता है, मैंने स्पाइक छीन लिया। उसने लात मारी और स्पाइक को फेंक दिया और भाग गया। स्पाइक वहाँ पड़ा हुआ है। जब वापस आया और मेरे भाई को देखा, तो वह जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने तुरंत एक वैन ली और उसे तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया, वहाँ डॉक्टर ने उसकी जाँच की और बताया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और शव को उसके घर भेज दिया।

मुर्दाघर। उसने मुझसे यह भी कहा कि वह उस पुलिस को सूचित करेगा। मेरे भाई की मृत्यु के बाद से मैं स्तब्ध था और मैं वहाँ रोते हुए बैठा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे लें।

जयपाल, सेवियर और जयसेली पर कार्रवाई जिन्होंने मुझे मार डाला

भाई।

उस पर एक दरांती से असफल हमला किया, और अपीलार्थी ने उस पर हमला कर दिया उसे एक स्पाइक से मारा और छाती के बाईं ओर चोट पहुंचाई; और यह कि अपीलार्थी और आरोपी नंबर 2 अपनी स्पाइक और दरांती फेंकने के बाद भाग गए। पीड़ित ने तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया।

4.1 . दूसरी ओर, अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि मृतक 5 या 6 लोगों के साथ उनके घर आया था। अपीलार्थी ने दरवाजा तोड़ा और कहा कि मृतक ने अरुवल से लैस होकर आरोपी नं. 3 (अपीलार्थी की पत्नी) जब उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की; और यह कि मृतक ने अपीलार्थी की पत्नी की साड़ी खींची और उसकी जैकेट फाड़ दी। यह आगे आरोप लगाया गया था कि जब से

अनुरोध के बावजूद मृतक नहीं गया, अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए और निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए, मृतक की छाती पर सिलाई मशीन की कैंची की जोड़ी से वार किया और, आर. जयपाल बनाम।

तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जब मृतक नीचे गिर गया तो अन्य लोग घटनास्थल से चले गए। अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना के अपने बयान के समर्थन में दो गवाहों से भी पूछताछ की। 5. साक्ष्य की सराहना पर, निचली अदालत ने अपने फैसले और दिनांक 27.06.2000 के आदेश द्वारा बचाव पक्ष के बयान को खारिज कर दिया और इसे पाया

उचित संदेह से परे साबित हुआ कि अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाई थी। निचली अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 2 के कार्य हत्या के थे और वे क्रमशः आई. पी. सी. की धारा 302 और आई. पी. सी. की धारा 1 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी थे। ट्रायल कोर्ट ने माना कि मृतक ने आरोपी नंबर 2 द्वारा किए गए प्रहार के प्रयास को विफल कर दिया, लेकिन जब मृतक ने भागने की कोशिश की, तो अपीलार्थी ने तथ्यों को साबित कर दिया।

उस पर लाठी से वार किया। हालाँकि, अपीलार्थी की पत्नी, अभियुक्त संख्या 3 को अपराध में उसकी भागीदारी के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी पर अविश्वास करते हुए, विशेष रूप से उसके क्रमशः 2 वर्ष और 4 महीने की उम्र में दो बच्चे होने के लिए, और किसी भी गवाह ने यह आरोप नहीं लगाया कि वह किसी भी हथियार से लैस थी, निचली अदालत ने बरी कर दिया।

विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 53 ..... पीडब्लू 1 से 4 का सबूत यह है कि जब ए 2 के हमले को रोका गया और उसने उसे नीचे धकेल दिया तो आरोपी भाग गया। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि ए 3 ने भी पूंथिसेज़ियान के गिरने से पहले या बाद में उस पर हमला किया था। जब

पीडब्लू 1 से 4 का प्रमाण यह है कि जब ए 2 ने हमला किया

पूंथिसेज़ियन ने उसे भगा दिया और जब उसने भागने की कोशिश की तो अल ने उसे चाकू मार दिया, और इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और

उन्होंने स्वीकार किया कि ए 3 ने उन्हें रास्ता दिया। इसके अलावा, यह विवादित नहीं है कि घटना की तारीख और घटना के उस समय, तीसरा आरोपी लगभग 2 साल की उम्र के दो बच्चों के साथ था

और 4 महीने। ऐसी परिस्थितियों में इसे स्वीकार करना मुश्किल है।

अभियोजन पक्ष के मामले में कि ए 3 ने ए 1 और ए 2 के साथ मिलकर उनकी मदद की और मृतक को हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आई. पी. सी. की धारा 341,302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत बनाया गया आरोप साबित हो गया है। ए 3 के खिलाफ। लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त है, प्रथम अभियुक्त के खिलाफ धारा 302 और आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया है।

ए 2 "के

खिलाफ। [2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. वर्तमान अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 2 की अपील में, मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश में

21.02.2008 , आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने के संबंध में निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन आरोपी संख्या 2 को इस आधार पर बरी कर दिया कि उसके द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार के अनुरूप कोई चोट मृतक के शरीर पर नहीं पाई गई थी; और यह कि गवाहों ने अपनी गवाही में अदालत के समक्ष परीक्षा के समय सुधार किया था, जिससे आरोपी संख्या 2 के खिलाफ मामले पर संदेह पैदा हुआ। अभियुक्त सं. 2 के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः -

" 10. जहाँ तक ए-2 का संबंध है, उनके पास अरुवल और वायल्ड था

उसी, द्वारा जांचे गए गवाहों के अनुसार

अभियोजन। लेकिन, कोई संबंधित चोट नहीं मिली। द. अभियोजन पक्ष के गवाह यह बताने के लिए आगे आए कि ए-2 ने

अरुवल किया और इसका इस्तेमाल भी किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार,

मूल रूप से शुरू में, ए-2 में अरुवल था; लेकिन कोई चोट नहीं लगी थी जिसे बस दूर कर दिया गया था। लेकिन, गवाहों ने अदालत के समक्ष परीक्षा के समय एक विकास किया है, और इस प्रकार, यह संदेह पैदा करता है कि क्या ए-2 हो सकता था

एक अरुवल के साथ घटना के स्थान पर, या वह मृतक पर हमला किया, क्योंकि कोई संबंधित चोट नहीं है

पाया गया। ए-2 के संबंध में इन गवाहों का साक्ष्य संदेह पैदा करता है, और इसलिए, इसे प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह संदेह से भरा हुआ है। इन परिस्थितियों में, ए-2 के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के उस हिस्से पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

***

***

***

13. जहां तक ए-2 का संबंध है, यह न्यायालय यह देखने में सक्षम है कि साक्ष्य उचित संदेहों से भरा हुआ है, और इसलिए, ए-2 का अधिकार है।

बरी करने के लिए। तदनुसार, दोषसिद्धि और सजा

ट्रायल कोर्ट द्वारा ए-2 पर लगाए गए आरोप को दरकिनार कर दिया जाता है और उसे आरोप से बरी कर दिया जाता है। जुर्माने की राशि यदि उसके द्वारा भुगतान की जाती है, तो उसे वापस कर दी जाएगी। उसके द्वारा निष्पादित जमानत

खड़े रहना बंद कर दें "।

7. उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने के लिए, अपीलार्थी (अभियुक्त संख्या 1)

इस अपील को प्राथमिकता दी है। आर. जयपाल बनाम द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और आदेश को लागू करना।

तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उच्च न्यायालय, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि वर्तमान मामला निजी बचाव के अधिकार को सद्भावना से प्रयोग करने का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि अपीलार्थी केवल अपनी पत्नी को मृतक द्वारा हमले और छेड़छाड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था जो अवैध रूप से उनके घर में प्रवेश कर गया था और प्राकृतिक परिस्थितियों में, अपीलार्थी

मृतक पर उस वस्तु से हमला किया जो उसके लिए सुलभ थी। विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेगा कि भले ही अभियुक्त आत्मरक्षा का अनुरोध नहीं करता है, लेकिन यदि ऐसी याचिका रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से उत्पन्न होती है तो इस पर विचार करने के लिए खुला है और अभियुक्त द्वारा उस याचिका के पक्ष में संभावनाओं की अधिकता दिखाकर बोझ उठाया जा सकता है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का आधार। विद्वान वकील ने मुंशी राम और अन्य सहित कई निर्णयों का उल्लेख किया है। वी. दिल्ली प्रशासनः (1968) 2 एस. सी. आर. 455; जेम्स मार्टिन बनाम। केरल राज्यः (2004) 2 एस. सी. सी. 203; दर्शन सिंह बनाम पंजाब और अन्न राज्य। : (2010) 2 एस. सी. सी. 333 और सुकुमारन बनाम। बताइएः 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 339। विद्वान वकील के अनुसार, तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध परिस्थितियों में, निजी बचाव के अधिकार का मामला स्वीकार किए जाने का हकदार है। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि किसी भी मामले में, वर्तमान मामला अचानक लड़ाई और गंभीर और अचानक उकसावे का मामला था क्योंकि मृतक ने अपीलार्थी के घर में प्रवेश किया और अपीलार्थी के परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी की कार्रवाई से हत्या का अपराध नहीं होता है और यह, अधिक से अधिक, गैर-इरादतन हत्या का मामला होगा जहां अपीलार्थी का मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। इन दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने बुधि सिंह बनाम में निर्णयों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है। हिमाचल राज्यः (2012) 13 एस. सी. सी. 663 और सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्यः (2017) 5 एससीसी 796।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील का तर्क होगा कि अपीलार्थी का इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था शत्रुता के कारण; और विचाराधीन घटना से पहले, आरोपी ने स्पष्ट रूप से मृतक को मारने का अपना इरादा व्यक्त किया था। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि गवाहों ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि घटना का स्थान अपीलार्थी के घर के सामने की सड़क थी और दी गई परिस्थितियों में, मामला न तो निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग था और न ही उकसाने और अचानक लड़ाई का; और अपीलार्थी का कार्य स्पष्ट रूप से आई. पी. सी. की धारा 300 के प्रमुख भाग के तहत आता है क्योंकि मृतक को [2019] 10 एस. सी. आर. पर घातक चोट लगी थी।

एक खतरनाक हथियार के साथ उसके शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 300 के किसी भी अपवाद के लाभ का हकदार नहीं है। विद्वान वकील ने पुलिचेरला नागराजू उर्फ नागराजा रेड्डी बनाम में निर्णयों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है। ए. पी. राज्य : (2006) 11 एस. सी. सी. 444 और गुडार दुसाद बनाम। बिहार राज्यः (1972) 3 एससीसी 118।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार करने और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच करने के बाद,

हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 304 के भाग-I के तहत गैर-इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने का हकदार है।

10. आई. पी. सी. की धारा 299 का प्रमुख भाग गैर इरादतन हत्या के अपराध को निर्दिष्ट करता हैः -

" 299. निंदनीय हत्या। -जो कोई भी मृत्यु के इरादे से कोई कार्य करके या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से मृत्यु का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या इस ज्ञान के साथ कि वह ऐसे कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है, वह गैर-इरादतन हत्या का अपराध करता है।

10.1 . आई. पी. सी. की धारा 300 का प्रमुख भाग हत्या के अपराध को निम्नानुसार निर्दिष्ट करता हैः -

या दूसरा। - यदि यह ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है जो अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिसे नुकसान पहुँचाया गया है, या

चौथा। - यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह, सभी संभावनाओं में, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और जोखिम उठाने के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है। मृत्यु या ऐसी चोट पहुँचाना जैसा कि ऊपर कहा गया है। आर. जयपाल बनाम

तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

10.2 . आई. पी. सी. की धारा 300 में हत्या के अपराध का उपरोक्त विवरण पांच अपवादों के अधीन है। इसके 1,2 और 4 अपवाद,

वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने के कारण, निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया जा सकता हैः -

" अपवाद 1. जब गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं है।

दंडनीय हत्या हत्या नहीं है यदि अपराधी, गंभीर और अचानक उकसावे से आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के बावजूद, उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसने उकसाया या गलती से या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है।

उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन हैः

सबसे पहले। - कि उकसावे की मांग या स्वेच्छा से नहीं की गई है

अपराधी द्वारा हत्या या नुकसान पहुँचाने के बहाने के रूप में उकसाया गया

कोई भी व्यक्ति।

दूसरा। - कि उकसावा कानून के पालन में की गई किसी भी चीज़ द्वारा या किसी लोक सेवक द्वारा वैध अभ्यास में नहीं दिया जाता है। ऐसे लोक सेवक की शक्तियाँ।

तीसरी बात। - कि उकसावा निजी रक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में की गई किसी भी चीज़ द्वारा नहीं दिया जाता है।

स्पष्टीकरण। - क्या उकसावा गंभीर और अचानक था

या संपत्ति, कानून द्वारा उसे दी गई शक्ति से अधिक है और इसका कारण बनती है उस व्यक्ति की मृत्यु जिसके खिलाफ वह पूर्व-चिंतन के बिना और इस तरह के बचाव के उद्देश्य से आवश्यक से अधिक नुकसान करने के किसी भी इरादे के बिना रक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

***

***

***

अपवाद 4. - दंडनीय हत्या हत्या नहीं है यदि इसे जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना किया जाता है।

अचानक झगड़ा और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना।

स्पष्टीकरण। ऐसे मामलों में यह मायने नहीं रखता कि कौन सा पक्ष प्रस्ताव देता है।

उकसाना या पहला हमला करना।

** **

***

10.3 जबकि आई. पी. सी. की धारा 307 हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है, इसकी धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है। हत्या के बराबर। इसकी प्रासंगिकता के लिए, हम आई. पी. सी. की धारा 304 को निम्नानुसार भी निकाल सकते हैं:

या किसी भी विवरण के कारावास के साथ जो एक अवधि के लिए हो सकता है जो दस साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ, यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि यह मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने या कारण बनने के किसी भी इरादे के बिना। ऐसी शारीरिक चोट जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।

11. अब हम पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। 11.1 . आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड "थर्डली" के संचालन के संबंध में गुदर दुसाद (उपरोक्त) के मामले में सिद्धांत निम्नलिखित नहीं हैं -

कोई भी विवाद लेकिन वही प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में लागू होगा। पुलिचेरला नागराजू (उपरोक्त) के मामले के तथ्यों पर, इस न्यायालय ने देखा कि पक्षों के बीच पूर्व शत्रुता थी और घटना से आधे घंटे पहले, मृतक के पिता और भाई पर अपीलार्थी और उसके पिता द्वारा हमला किया गया था और इस आशंका के लिए किसी भी कारण का कोई संकेत नहीं था कि मृतक अपीलार्थी पर हमला कर सकता है। दी गई तथ्य स्थिति में, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी का अत्यधिक बल से छुरा घोंपकर शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुँचाना हत्या का अपराध था।

11.2 . मुंशी राम में सिद्धांत और अपीलार्थी की ओर से अन्य उद्धृत निर्णय, कि आत्मरक्षा की याचिका पर विचार किया जा सकता है यदि रिकॉर्ड पर सामग्री से उत्पन्न होता है और आरोपी द्वारा पक्ष में संभावनाओं की प्रधानता दिखाकर बोझ का निर्वहन किया जा सकता है वह याचिका भी न तो संदेह की है और न ही विवाद की है। हालाँकि, सवाल यह रहेगा कि क्या अपीलार्थी आर. जयपाल बनाम को दिखाने में सक्षम रहा है।

उचित आशंका ताकि आत्मरक्षा के अधिकार को लागू किया जा सके। बुधि सिंह और सुरैन सिंह (ऊपर) में, अभियुक्त व्यक्तियों को दिए गए मामले के तथ्यों को देखते हुए क्रमशः धारा 304 भाग-I और धारा 304 भाग-II के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अंतिम विश्लेषण में, प्रत्येक मामले को खोजने के लिए अपने स्वयं के तथ्यों पर जांच करने की आवश्यकता होती है

अपराध की प्रकृति। 12. हाथ में मामले की ओर लौटते हुए, जैसा कि देखा गया है, इस मामले की मूल विशेषताओं में से एक यह थी कि अपीलार्थी, उसके भाई और उसकी पत्नी को आरोपी संख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1 , 2 और 3 क्रमशः इन आरोपों के साथ कि इन तीन व्यक्तियों ने आगे बढ़ने में काम किया था

सामान्य इरादा जहाँ उन्होंने मृतक को रोका जब वह था

अपीलार्थी के घर के सामने की गली को पार करना; जहाँ अपीलार्थी के भाई (अर्थात अभियुक्त सं. 2) ने मृतक पर दरांती से हमला किया लेकिन

उसके प्रहार को मृतक द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था; जहाँ आरोपी नं। 3 ने मृतक पर घात लगाकर हमला किया; और जहाँ अपीलार्थी ने मृतक को स्पाइक से चाकू मार दिया। अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया कि घटना अपीलार्थी के घर के सामने सड़क के विपरीत दिशा में हुई थी, लेकिन दूसरी ओर, आरोपी की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि मृतक अपीलार्थी के घर में घुस गया और अपीलार्थी की पत्नी (यानी, आरोपी संख्या 3) पर हमला करने और छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। और यह कि मृतक पर निजी अधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा हमला किया गया था रक्षा। हम मामले के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें वे भी शामिल हैं -

घटना के स्थान से संबंधित, थोड़ी देर बाद। इस मोड़ पर यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार स्थापित मामले के संबंध में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 2 के संबंध में पीडब्लू-1 से पीडब्लू-4 के साक्ष्य को स्वीकार करते हुए भी, अभियुक्त संख्या 3 के संबंध में इसे स्वीकार नहीं किया और अभिनिर्धारित किया कि उसके खिलाफ लगाया गया आरोप साबित नहीं हुआ था। इसके अलावा, निचली अदालत द्वारा आरोपी संख्या 3 को बरी करने के फैसले को कभी चुनौती नहीं दी गई। अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 2 ने फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देना अदालत। यद्यपि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया

अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की, लेकिन साथ ही, अभियुक्त संख्या 2 के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में अविश्वास किया और उसे बरी करने के लिए आगे बढ़े। उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों और अभियुक्त संख्या 2 को बरी करने के फैसले को भी अभियोजन पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों के शुद्ध परिणाम में, अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्त नं.

2 और अभियुक्त संख्या 3, क्रमशः अपीलार्थी के भाई और पत्नी को अविश्वसनीय पाया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है। जैसा कि देखा गया है, [2019] 10 एस. सी. आर. के दावे।

अभियुक्त सं. के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला अविश्वसनीय है। 2 और 3, इस बारे में प्रश्न उठते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के निहित भागों को अपीलार्थी को दूसरे भागों से अलग किया जा सकता है और क्या केवल अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन मामले को स्वीकार करना सुरक्षित होगा? 13. सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बरी होने के बावजूद भी एक अभियुक्त की दोषसिद्धि के औचित्य से संबंधित प्रश्न ने इस न्यायालय के कई फैसलों में ध्यान आकर्षित किया है। पिछले निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने यानोब शेख उर्फ गागू बनाम के मामले में टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल राज्यः (2013) 6 एस. सी. सी. 428 ने कहा कि सह-अभियुक्त को स्वयं बरी करना अन्य अभियुक्त को बरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है और न्यायालय को दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक अभियुक्त को दूसरे पर बरी करने के प्रभाव पर निष्कर्ष निकालने से पहले अपने सही परिप्रेक्ष्य में पूरे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच करनी चाहिए। दलबीर सिंह बनाम के मामले में। हरियाणा राज्यः (2008) 11 एस. सी. सी. 425, इस न्यायालय ने कृष्ण मोची बनाम के मामले में प्रस्तावित सिद्धांतों को निकाला। बिहार राज्यः (2002) 6 एस. सी. सी. 81 और निम्नानुसार देखा गयाः -

" 13. फ़ाल्स के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर आते हुए

एक नहीं, सर्वव्यापी में मिथ्या, भले ही साक्ष्य के बड़े हिस्से में कमी पाई गई हो, अवशेष एक के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है

सह-अभियुक्त व्यक्तियों, उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। हालांकि, जहां बड़ी संख्या में अन्य व्यक्ति आरोपी हैं, अदालत को सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती हैः

'51 . ..... भूसी से अनाज को अलग करना अदालत का कर्तव्य है। भूसी को कहाँ से अलग किया जा सकता है

अन्यथा, यह अदालत के लिए एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए खुला होगा, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए सबूत की कमी पाई गई है। विशेष भौतिक गवाह या विशेष सामग्री की असत्यता इसे शुरू से अंत तक बर्बाद नहीं करेगी। यूनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस का भारत में कोई उपयोग नहीं है और गवाहों को झूठा नहीं माना जा सकता है। उनो में मैक्सिम फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस (एक चीज में गलत, हर चीज में गलत)

आर. जयपाल बनाम तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विभिन्न में सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है

अधिकारिता और न ही यह उक्ति कानून के शासन का दर्जा प्राप्त करने के लिए आई है। यह केवल सावधानी का नियम है। यह केवल इतना है कि ऐसे मामलों में गवाही हो सकती है

उपेक्षा की गई, और यह नहीं कि इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। इस सिद्धांत में केवल साक्ष्य के भार का प्रश्न शामिल है जिसे एक अदालत परिस्थितियों के एक दिए गए समूह में लागू कर सकती है, लेकिन यह वह नहीं है जिसे अनिवार्य नियम कहा जा सकता है।

सबूत '। (निसार अली बनाम देखें। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 366]। केवल इसलिए कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है, हालाँकि उन सभी के खिलाफ साक्ष्य, जहाँ तक प्रत्यक्ष गवाही की बात है, एक आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं ले जाता है कि जिन्हें दोषी ठहराया गया है

रुकिए। गवाह एक कहानी को कढ़ाई देने में मदद नहीं कर सकते हैं, हालांकि, मुख्य रूप से सच है। इसलिए, प्रत्येक मामले में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि सबूत किस हद तक है। स्वीकृति के योग्य, और केवल इसलिए कि कुछ मामलों में अदालत इसे गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए अपर्याप्त मानती है, यह नहीं है

अनिवार्य रूप से कानून के मामले के रूप में पालन करें कि यह होना चाहिए हर तरह से नजरअंदाज किया गया। सबूत होना चाहिए

सावधानी से छान-बीन की। उपरोक्त उक्ति इस कारण से एक ठोस नियम नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा गवाह मिलता है जिसके साक्ष्य में झूठ का एक दाना या कुछ भी नहीं होता है।

दर अतिशयोक्ति, कढ़ाई या अलंकरण। (सोहराब वी. देखें। एम. पी. का राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 751] और उगार अहिर बनाम। बिहार राज्य [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 277])। सम्मानित रूपक के संदर्भ में एक प्रयास किया जाना चाहिए, अनाज से अलग

भूसी, झूठ से सच्चाई। जहाँ सत्य को झूठ से अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि अनाज और भूसी

वे अटूट रूप से मिश्रित हैं, और अलग होने की प्रक्रिया में [2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बिल्कुल नए मामले का पुनर्निर्माण करना होगा

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को तलाक देना

जो वे बनाए जाते हैं, एकमात्र उपलब्ध तरीका यह है कि साक्ष्य को पूरी तरह से त्याग दिया जाए। (ज़िंगली एरियल बनाम देखें। एम. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 15] और बलाका सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(1975) 4 एस. सी. सी. 511]। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि राजस्थान राज्य बनाम। कल्कि [(1981) 2 एस. सी. सी. 752] साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे हैं जो सामान्य होने के कारण होती हैं।

अवलोकनों की त्रुटियाँ, स्मृति की सामान्य त्रुटियाँ

समय के अंतराल में, घटना के समय सदमे और भय जैसे मानसिक स्वभाव के कारण और ये हमेशा होते हैं

गवाह चाहे कितना भी ईमानदार और सच्चा क्यों न हो। सामग्री

विसंगतियाँ वे हैं जो सामान्य नहीं हैं और नहीं हैं।

एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित। अदालतों को लेबल करना होगा

ऐसी श्रेणी जिसमें विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि सामान्य विसंगतियाँ एक की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करती हैं

पक्ष के मामले में, भौतिक विसंगतियां ऐसा करती हैं।

13.1 . इसलिए, जहां इस न्यायालय ने पाया कि सत्य और झूठ को अलग करना संभव नहीं था क्योंकि दोनों अटूट रूप से मिश्रित थे

ऊपर, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पूरी तरह से त्याग दिया गया था। तथापि, अन्य मामलों के तथ्यों पर 2, इस न्यायालय ने पाया कि सह-अभियुक्त को बरी करने से दोषी अभियुक्त को लाभ नहीं हुआ। 14. यह उपयोगी रूप से दोहराया जा सकता है कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने इस तरह से घटनाओं का वर्णन किया कि

मृतक को सड़क पर तीन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रोका गया और दो पुरुष अभियुक्त व्यक्तियों (अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 2) ने मृतक पर संबंधित हथियारों से हमला किया, जबकि अभियुक्त संख्या 3 ने मृतक को भागने से रोक दिया। अभियुक्त व्यक्तियों के कार्यों का कालक्रम या क्रम अलग-अलग गवाही में थोड़ा अलग हुआ था, लेकिन वे विसंगतियां, जैसे कि, नहीं हो सकती हैं

1 ज़िंगली एरियल और बलाका सिंह के मामलों की तरह, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 13 में निकाले गए हिस्से में बताया गया है। 2 जैसे यानोब शेख और दलबीर सिंह (ऊपर) में।

जब अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 3 को घटनास्थल से हटा दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी का पूरा रंग भौतिक पहलुओं पर बदल दिया जाता है और इस तरह के परिवर्तन को पूरी तरह से महत्वहीन या अप्रासंगिक होने के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

14.1 . दूसरे शब्दों में, यदि अभियोजन पक्ष के मामले को अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 3 के संबंध में झूठा (या कम से कम संदिग्ध) माना जाता है, तो यह भाग

गली से नीचे चल रहा था, अपीलार्थी अकेला उस पर कूद पड़ा; उसे एक झटका दिया; हथियार को अपने घर की ओर फेंक दिया और भाग गया। हमारे विचार में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित कहानी के प्रतिस्थापन में घटना के ऐसे या समान दृश्य को मान लेना असुरक्षित होगा। जैसा कि निर्णयों से पता चलता है ऊपर उल्लिखित, जब इस न्यायालय ने पाया कि सत्य को झूठ से अलग करना संभव नहीं था क्योंकि दोनों अविभाज्य रूप से मिश्रित थे, तो अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, इस मामले में ऐसा मार्ग नहीं अपनाया जा सकता है और यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी घटना में शामिल नहीं था या उसने मृतक की हत्या नहीं की थी, अनिवार्य रूप से इस कारण से कि अपीलार्थी ने स्वयं बचाव पक्ष लिया कि उसने मृतक पर हमला किया जब मृतक ने कथित रूप से अपने घर के अंदर घुसपैठ की और अपनी पत्नी पर हमला करने और छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मृतक के व्यक्ति पर एक चोट लगी थी, जो कि बाएं कॉलर की हड्डी के सामने और बाहर 5 सेंटीमीटर लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर चाकू की चोट थी।

चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू-11 ने राय दी है कि फेफड़े में चोट काफी थी मृत्यु का कारण बनता है और विचाराधीन स्पाइक के कारण हो सकता है।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, घटनाओं के संबंध में अभियोजन के मामले में अविश्वास करने के बाद भी, लेकिन

अपीलार्थी का मामला स्वीकार किया गया कि उसने व्यक्ति को चोट पहुँचाई

मृतक, मामले की आगे जांच करने की आवश्यकता है

यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी अपनी पत्नी को कथित हमले और छेड़छाड़ से बचाने के लिए निजी बचाव के अधिकार का उचित उपयोग करने के लिए बरी होने का हकदार है।

16.1 . मूल मज़हर के संबंध में विवाद को केवल खारिज किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि इसकी कार्बन कॉपी पेश की गई थी और ऐसी कोई विसंगति नहीं थी जिसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक माना जा सके। जाँच अधिकारी पीडब्लू-14 की गवाही की जाँच करने के बाद, हम भौतिक पहलुओं पर पाते हैं कि उसने अपीलार्थी के घर के उठे हुए मंच से अपराध का खून से सना हथियार (दरांती) बरामद किया; और वह अपीलार्थी के घर के अंदर भी गया लेकिन आरोप के अनुसार चीजें बिखरे हुए नहीं मिलीं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि दरवाजे के फ्रेम, खिड़की के कांच या घर के दरवाजे पर कट के निशान थे। उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया कि अपीलार्थी के घर के अंदर सब्जियों पर खून था। उन्होंने आगे कहा कि मृतक अपीलार्थी के घर के सामने गिर गया लेकिन थोड़ा दूर, और मृतक को उस स्थान पर रखा गया जहाँ रंगोली एक बर्णबास के घर में खींची गई थी। यह भी देखा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थल योजना के अनुसार, अपीलार्थी के घर के सामने तार सड़क की चौड़ाई लगभग 10 फीट थी और उसका घर बरनबास के घर के ठीक सामने था। 17. इसलिए, जब हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले को अनुमानित के रूप में विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो हमले के बारे में बचाव संस्करण और

अपीलार्थी की पत्नी, अभियुक्त संख्या 3 के साथ छेड़छाड़ समान रूप से प्रकट होती है।

दूसरे चरम के प्रति अतिशयोक्ति/अतिशयोक्ति होना। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी के सुझाव का हिस्सा कि मृतक 5-6 व्यक्तियों के साथ उसके घर में प्रवेश किया और उसकी पत्नी पर हमला किया और छेड़छाड़ की, स्वीकार किया जाना मुश्किल है; न तो उस संबंध में कोई ठोस सबूत है और न ही मामले की परिस्थितियाँ इस संस्करण का समर्थन करती हैं।

हालाँकि, अभिलेख पर साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर भी खून के धब्बे पाए गए थे; और अपराध का हथियार अपीलार्थी के घर के ऊँचे मंच पर पाया गया था। इस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ आर. जयपाल बनाम.

यह एक उचित संदेह को जन्म देता है कि विचाराधीन घटना, पूरी संभावना में, अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर हुई थी। मान लीजिए, दोनों पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे और उसी दिन शाम करीब 5 बजे मृतक के घर के बाहर उनकी बहस हुई थी। इसलिए, मृतक के अपीलार्थी के दरवाजे तक पहुँचने पर झगड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

17.1 . तथ्य और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, अभियोजन पक्ष पर इस संदेह को दूर करने का बोझ भारी था कि मृतक कैसे और क्यों

वह अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर था और कैसे अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर भी खून के धब्बे पाए गए थे। अभियोजन पक्ष विचाराधीन घटना से संबंधित घटनाओं के क्रम और घटना के वास्तविक स्थान के संबंध में सभी स्पष्ट संदेहों को दूर करने में सक्षम नहीं है।

अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर ही रखें; और मृतक के, जो अपीलार्थी की पत्नी के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों पर था, अपीलार्थी के घर में आक्रामकता या घुसपैठ के प्रयास के माध्यम से उकसाने के कारण बताए जाने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया गया है। 18. पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि अभियोजन पक्ष की अनुमानित कहानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस कारण से कि आरोपी संख्या 2 और आरोपी संख्या 3 को बरी कर दिया गया है और उनके बरी होने का फैसला अंतिम हो गया है। फिर, अभियोजन पक्ष घटना के स्थान और तरीके के बारे में सभी स्पष्ट संदेहों को दूर करने में सक्षम नहीं हुआ है, विशेष रूप से कि हमलावर कौन था और यह कैसे शुरू हुआ। जिस पर

दूसरी ओर, बचाव पक्ष का यह कथन कि मृतक 5-6 व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के घर में घुस गया और उसकी पत्नी पर हमला किया और छेड़छाड़ की, भी ठोस और विश्वसनीय सबूतों के अभाव में अस्वीकार्य है। हालांकि, प्रमुखता यह है कि घटना, पूरी संभावना में, अपीलार्थी के घर के दरवाजे पर ही हुई थी। दी गई परिस्थितियों में, मृतक के, जो अपीलार्थी की पत्नी के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों पर था, अपीलार्थी के घर में आक्रामकता या घुसपैठ के प्रयास के माध्यम से उकसावे के कारणों को बताए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता है।

19. अभियोजन पक्ष के संस्करण में स्पष्ट लेकिन अस्पष्टीकृत संदेहों का संकेत देते हुए और [2019] 10 एस. सी. आर. की प्रधानता का भी संकेत देते हुए।

संभावनाएँ, हम उपयोगी रूप से जुम्मन के मामले में निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं और ओआरएस। वी. पंजाब राज्यः ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 469 जिसमें इस न्यायालय ने उस मामले में अनुसरण किए जाने वाले पाठ्यक्रम का संकेत दिया है जहां पक्षों की भूमिका और भागीदारी तय करने में अस्पष्टता है। इस अदालत ने कहा है,

" 22. ऐसे मामले में जहां एक आपसी संघर्ष विकसित होता है और इस बारे में कोई विश्वसनीय और स्वीकार्य सबूत नहीं है कि यह कैसे शुरू हुआ और हमलावर कौन था, क्या दोनों पक्षों के लिए निजी बचाव करना सही होगा? हमारा विचार है कि ऐसी स्थिति किसी भी पक्ष के निजी बचाव की याचिका की अनुमति नहीं देती है और यह अचानक लड़ाई और संघर्ष का मामला होगा और आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत निपटा जाना चाहिए। ,

अपवाद 4.

23. इस मामले को इस तरह से देखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि कोई पूर्वकल्पना नहीं थी और इसलिए जब प्रतिद्वंद्वी गुट गलती से मिले और एक-दूसरे पर हमला किया, तो संघर्ष के परिणामस्वरूप अचानक लड़ाई हुई, जुनून की गर्मी में, एक पर अचानक झगड़ा और बिना आरोपी के अनुचित लाभ उठाए या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया। यह पता चलने पर कि दोनों पक्षों के पास हथियार थे, दोनों में से किसी ने भी कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया। अतः आई. पी. सी. की धारा 300 का अपवाद 4। , यह इस परिणाम के साथ लागू होता है कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग I) के तहत है।

20. पूर्वगामी और इस मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी के वैकल्पिक मामले को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि विचाराधीन घटना बिना किसी पूर्व-चिंतन के हुई थी, अचानक एक झगड़े के बाद जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में, जब मृतक ने अपने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया; और अपीलार्थी ने न तो कोई अनुचित लाभ उठाया और न ही क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किया। इसलिए, हम अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ देने के लिए इच्छुक हैं। तथापि, मृत्यु का कारण बनने वाला अपीलार्थी का कार्य ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया गया है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, अपीलार्थी दोषी ठहराए जाने का हकदार है -

आई. पी. सी. की धारा 304 के भाग-I के तहत अपराध। 21. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील की आंशिक रूप से उस हद तक और उस तरीके से अनुमति दी जाती है जिस तरह से अपीलार्थी आर. जयपाल बनाम.

तमिलनाडु राज्य और ए. एन.

आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. पी. सी. की धारा 304 ए के भाग-1 के तहत आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत एक में बदल दिया जाता है और अपीलार्थी को दस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है। जुर्माने और पूर्वनिर्धारित शर्तों के संबंध में सजा के दूसरे भाग को बनाए रखा जाता है।

अंकित ज्ञान